मण्डल:- वाराणसी,जनपद:- गाजीपुर,तहसील:- जमानियां

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 2344/2022

एच0एन0सिंह सं0 टारी मुस्तहकम बजरिय प्रबंधक सत्य प्रकाश सिंह बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202214290302344

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 04/08/2022

अंतिम आदेश

उपर्युक्त वाद एच0एन0सिंह संस्थान टारी मुस्तहकम परगना व तहसील जमानियॉ जिला गाजीपुर बजरिये प्रबंधक श्री सत्य प्रकाश सिंह यादव पुत्र पुत्र हरिनरायन सिंह यादव निवासी ग्राम नेवादा दुर्गविजय राय परगना शादियाबाद तहसील जखनियॉ जिला गाजीपुर द्वारा दाखिल किय गया है। वाद पत्र के आधार पर कहा गयाहै कि मौजा टारी मुस्तहकम परगना व तहसील गाजीपुर के खाता संख्या 242 आराजी संख्या 586 में रकबा 0.526हे0 , खाता संख्या 297 आरजी संख्या 585 रकबा 0.010हे0 व खाता संख्या 66 आराजी संख्या 585 रकबा 0.0160हे0 तथा खाता संख्या 284 आराजी संख्या 585 रकबा 0.025हे0 पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी पर खेती कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन इत्यादि नहीं होता है। उक्त रकबे को अकृषक घोषित किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त आराजी के बावत लेखपाल क्षेत्र टारी मुस्तहकम द्वारा आख्या दिनांक 21.07.2022 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मौजा टारी मुस्तहमक तहसील जमानियॉ की आराजी संख्या 586 के रकबा 0.526हे0 तथा आराजी संख्या सं585 रकबा 0.051हे0 पर भवन निर्माण किया जा रहा है। किसी भी तरह का कृषि फार्म, मत्स्य पालन व कुक्कुअ पालन का कार्य नही किया जा रहा है। लेखपाल की आख्या को रा0नि0 व तहसीलदार जमानियॉ द्वारा अग्रसारित किया गया है। उक्त आराजी की मूल्यांकन आख्या सब-रजिस्ट्रार जमानियॉ से प्राप्त की गयी। सब-रजिस्ट्रार जमानियॉ की आख्या दिनांक 03.08.2022 में आराजी संख्या 586 रकबा 0.526हे0 का मूल्याकन 3551000/-रू0, आराजी संख्या 585 रकबा 0.010हे0 का मूल्यांकन 450000/-रू0, आराजी संख्या 585 रकबा 0.016हे0 का मूल्यांकन 720000/-रू0 तथा आराजी संख्या 585 रकबा 0.025का मूल्यांकन 1125000/-रू0 अंकित किया गया है। मूल्यांकन आख्या के आधार पर जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर द्वारा निर्धारित सर्किल दर से उद्घोषणा शुल्क 1 प्रतिशत तथा न्याय शुल्क 1 प्रतिशत कुल 2 प्रतिशत यानि कुल रू0 116920/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा जमानियां में चालान संख्या 15/04.08.2022 को जमा कर चालान की प्रति, नजरी नक्शा, खतौनी वादी रामवचन द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जो संलग्न पत्रावली है। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मौजा टारी मुस्तहकम अन्तर्गत खाता संख्या 242 आराजी संख्या 586 में रकबा 0.526हे0 , खाता संख्या 297 आरजी संख्या सं585 रकबा 0.010हे0 व खाता संख्या 66 आराजी संख्या सं585 रकबा 0.0160हे0 तथा खाता संख्या 284 आराजी संख्या सं585 रकबा 0.025हे0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार जमानियां के माध्यम से प्राप्त लेखपाल क्षेत्र टारी मुस्तहकम की आख्या के क्रम में टारी मुस्तहकम स्थित खाता संख्या 242 आराजी संख्या 586 में रकबा 0.526हे0 , खाता संख्या 297 आरजी संख्या सं585 रकबा 0.010हे0 व खाता संख्या 66 आराजी संख्या सं585 रकबा 0.0160हे0 तथा खाता संख्या 284 आराजी संख्या सं585 रकबा 0.025हे0 कृषि कार्य के अतिरिक्त आवासीय प्रयोजन में प्रयोग होने के कारण अन्तर्गत धारा 80(1) के अधीन गैर कृषक कार्यो हेतु प्रख्यापित किया जाता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमानियॉ व उप निबन्धक जमानियॉ को अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रवली दाखिल दफ्तर होवे।

4/8/22

(भारत भार्गव)

उप जिलाधिकारी,

जमानियॉ